न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

मुन्त. प्रा0 / 08 / 2021

1. भगवान सिंह
2. विजय सिंह

पिसरान खरगी जाति जाट निवासी घेरा तहसील नदबई जिला भरतपुर

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. गोपाल
2. रामजीत
3. शिवचरन

पिसरान मंगू

4. रामकुमार
5. परभाती
6. विजेन्द्र
7. वीरबल

पिसरान गोविन्दा

8. वीरो पुत्री गोविन्दा
9. अरजुनसिंह पुत्र किशनलाल
10. उदयसिंह पुत्र किशनलाल
11. विरजी पुत्र रामचन्द
12. वदनसिंह
13. भीमसिंह
14. लक्ष्मनसिंह

पिसरान किशनलाल

15. सीताराम पुत्र किशनलाल
16. मुख्तयारी पत्नि किशन
17. टोटा
18. उदयसिंह
19. अरजुन
20. लक्ष्मन
21. वदन

पिसरान किशन

22. भीम सिंह पुत्र किशन
23. लवकुश
24. गजेन्द्र

पिसरान करतार

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०

25. कमलेश] पुत्रीयान करतार
26. प्रीति]
27. करन पुत्र हरिया
28. छत्तरसिंह] पिसरान प्रभू
29. प्रीतम]
30. मनवट पुत्र हरिया
31. मोरध्वज पुत्र प्रभू
32. रामप्यारी पुत्री हरिया
33. वासी पुत्र हरिया
34. शिवदयाल] पिसरान प्रभू जातियान जाट निवासी ग्राम घेरा तहसील नदबई
35. शिवराम] जिला भरतपुर
36. पी.एन.बी. शाखा नदबई जरिये प्रबंधक
37. स्टेट बैंक ऑफ इन्डिया शाखा नदबई जरिये प्रबंधक
38. बडौदा राज0ग्रामीण बैंक नदबई जरिये प्रबंधक
39. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई
40. सब रजिस्टार नदबई
41. हेमराज गुर्जर उपखण्ड अधिकारी नदबई।

.....अप्रार्थीगण

मुन्तकिली प्रार्थना पत्र विरूद्व उपखण्ड अधिकारी नदबई
श्री हेमराज गुर्जर आर0ए0एस0 बावत मुकदमा नं0 44/2020 उनवानी भगवानसिंह बनाम गोपालसिंह ।

निर्णय **दिनांक 04.08.2021**

प्रार्थीगण ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र विरुद्व अप्रार्थीगण इस आशय का पेश किया है कि उनवानी प्रकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई में विचाराधीन है। उक्त प्रकरण के मूल दावा के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. बहस में नियत है एवं मूल वादपत्र प्रतिवादीगण की तलवी में विचाराधीन है। प्रकरण में न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण के पक्ष में दिनांक 24.7.2020 को विरूद्व गैरसायलान स्थगन आदेश पारित किया हुआ है। प्रकरण में अप्रार्थीगण की तलवी अखबार स्याहा से कराने हेतु तहत न्यायालय के

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

द्वारा आदेश पारित करने के बाद प्रार्थीगण द्वारा गैरसायलान की तलबी हेतु अखबार स्याहा से कराई जाकर अखबार की प्रति अदालत में पेश कर दी गयी है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमानुसार अप्रार्थीगण की इकतरफा कार्यवाही न कर पत्रावली को विधि विरूद्ध तरीके से प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. में बहस सुनी जाकर दिनांक 25.02.2021 को पत्रावली अन्तिम आदेश में नियत कर दी गयी है जो कि गैर कानूनी है। इस सम्बन्ध में प्रार्थीगण द्वारा उपखण्ड अधिकारी नदबई से निवेदन किया तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहां है कि उपखण्ड स्तर पर मैं ही राजा हूं, इसलिये जो मैं चाहूंगा वही निर्णय पारित करूंगा व आपके विरूद्ध स्टे खारिज कर दूंगा। प्रार्थीगण को उपखण्ड अधिकारी नदबई से न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी गोपाल को पीठासीन अधिकारी के चैम्बर से निकलते हुए भी तारीख पेशी के दिन देखा है। इसलिए प्रार्थी को सन्देह है कि पीठासीन अधिकारी एस0डी0ओ नदबई से किसी भी प्रकार का न्याय नही मिलेगा एवं मुकदमा प्रार्थीगण के विरूद्ध तय होगा। इसलिए उपखण्ड अधिकारी नदबई में विचाराधीन मुकदमा नम्बर 44/20 उनवानी भगवानसिंह बनाम गोपाल मुकदमा को दीगर अदालत में मुन्तकिल किया जाना आवश्यक है। प्रार्थीगण द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त प्रकरण को किसी अन्य राजस्व अदालत में स्थानान्तरित करने की प्रार्थना की है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। उपखण्ड अधिकारी नदबई से टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 जरिये अभिभाषक उपस्थित आये और अपना जवाब पेश किया साथ ही प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी नदबई से टिप्पणी प्राप्त हुई जो शामिल मिसिल की गई।

बहस उभयपक्ष के अभिभाषकगण की सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी ने अपने मुन्तकिली प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुये निवेदन किया है कि उपखण्ड अधिकारी नदबई प्रकरण में जारीशुदा स्थगन आदेश को अवैधानिक तरीके से निरस्त करना चाहते है। अप्रार्थी गोपाल की पीठासीन अधिकारी से अनैतिक रूप से सांठ–गांठ हो गई है और पीठासीन अधिकारी प्रकरण का निस्तारण अप्रार्थीगण के पक्ष में करना चाहते है। प्रार्थीगण को पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी नदबई से न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। प्रार्थीगण के अभिभाषक द्वारा उपखण्ड अधिकारी नदबई के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 44/20 उनवानी भगवानसिंह बनाम गोपाल को उनके न्यायालय से किसी अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने की प्रार्थना की है।

अप्रार्थीगण के अभिभाषक ने अपनी बहस में जाहिर किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 17.02.2021 को उभयपक्ष की बहस सुनकर ही पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 25.02.2021 नियत की गई थी। प्रार्थीगण उनके पक्ष में पारित स्थगन आदेश का निर्णय नहीं होना देना चाहते हैं व उनकी प्रकरण को अनावश्यक रूप से मुन्तकिली

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०)

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर लम्बित करने की मंशा हैं। अप्रार्थीगण की उपखण्ड अधिकारी नदबई से किसी भी प्रकार की सांठ–गांठ नहीं है और झूंठे आरोप लगाकर प्रार्थी द्वारा मुन्तकिली प्रार्थना पत्र दिया है, जो काबिल खारिजी के है।

हमने उभय पक्ष के अभिभाषकगण द्वारा की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन कर उपखण्ड अधिकारी नदबई से प्राप्त टिप्पणी पर गौर किया। जहां तक प्रार्थीगण अभिभाषक का कथन है कि पीठासीन अधिकारी द्वारा अप्रार्थीगण की अखबार स्याहा से तलवी कराने पर भी उनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही न करते हुये बहस सुनी जाकर प्रकरण को आदेश में नियत कर दिया गया है। प्रार्थीगण का यह तथ्य कतई स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि पत्रावली पर उपलब्ध तहत न्यायालय की आदेशिका दिनांक 17.02.2021 के अनुसार पीठासीन अधिकारी द्वारा अप्रार्थी0 संख्या 2 लगायत 10 के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई है। आदेशिका के अनुसार उक्त दिवस को दोनों पक्ष के अभिभाषकों की उपस्थिति दर्ज की गई है। स्पष्ट है कि प्रकरण में प्रार्थीगण के पक्ष में न्यायालय द्वारा एक पक्षीय स्थगन आदेश पारित किया हुआ है। इस कारण प्रार्थीगण का उद्देश्य प्रकरण के निस्तारण को अनावश्यक रूप से लम्बित करने का प्रतीत होता है। प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के समर्थन में ऐसा कोई साक्ष्य व सबूत पेश नहीं किया गया है जिंससे पीठासीन अधिकारी पर लगाये गए आरोपों की पुष्टि होती हो। प्रार्थीगण की मंशा विचाराधीन प्रकरण को मात्र लम्बित किये जाने की प्रतीत होती है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मगढंत व निराधार होने से खारिज किये जाने योग्य पाते हैं।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीगण का मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी नदबई को प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 04.08.2021 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(हिमान्शु गुप्ता)
जिला कलक्टर,
भरतपुर